भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5981
दिनांक 01.04.2026 को उत्तर के लिए

डिजिटल और संधारणीय शासन पद्धतियाँ

5981. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुशल और पेपरलेस कार्यालय कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा वर्तमान में कौन सी प्रमुख डिजिटल प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है;
(ख) इन प्लेटफार्मों को अपनाने के कारण पारदर्शिता, रिकार्ड प्रबंधन और प्रशासनिक विलंब में कमी आने जैसे लाभों का ब्यौरा क्या है;
(ग) डिजिटल और संधारणीय शासन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान 5.0 के दौरान मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सर्वोत्तम पद्धतियों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) डिजिटल इंडिया तंत्र में नई प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और अंतर-संस्थागत समन्वय को बढ़ाने के लिए परिकल्पित भावी रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) संसदीय कार्य मंत्रालय ने सात प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्मों को पूर्ण रूप से अपनाकर अपनी कार्य-प्रणाली को कागज रहित तंत्र में परिवर्तित किया है इनमें सभी फ़ाइलों की आवाजाही और अनुमोदन हेतु ई-ऑफिस, सभी सेवाओं और मानव संसाधन मामलों के निर्बाध संचालन हेतु ई-एचआरएमएस, परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के पूर्णत: डिजिटल प्रबंधन हेतु परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, पारदर्शी खरीद और परिसंपत्ति ट्रैकिंग हेतु दावा और माल-सूची प्रबंधन प्रणाली, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में विधायी डिजिटल कार्यप्रवाह के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा), संसदीय आश्वासनों की वास्तविक-समय में निगरानी के लिए ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (ओएएमएस) तथा समर्पित राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल शामिल है।

इस व्यापक डिजिटल परिवर्तन के प्रत्यक्ष लाभ विचाराधीनता (सभी मामलों और फाइलों की मंजूरी) की पूर्णत: समाप्ति, भौतिक फाइल-आवागमन जैसी प्रशासनिक देरी और कागज़ की खपत में भारी कमी, प्रत्येक लेन-देन की तत्काल निगरानी और लेखा सत्यापन के कारण पारदर्शिता के स्तर में काफी वृद्धि, पूर्णत: सुरक्षित और आसानी से पुन: प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और प्रोसेसिंग टाइम में आई कमी में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।

(ग) और (घ) विशेष अभियान 5.0 (2 से 31 अक्टूबर, 2025) के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने लंबित मामलों को शत-प्रतिशत निपटाकर, व्यापक साफ-सफाई और कचरा वर्गीकरण अभियान चलाकर तथा सालाना लाखों पेड़ों के संरक्षण में योगदान देने वाली योजना 'नेवा' को हरित शासन के एक मॉडल के रूप में प्रोत्साहन देते हुए "जीरो-पेंडेंसी और जीरो-पेपर" का लक्ष्य हासिल किया। मंत्रालय के सभी अधिकारियों और स्टाफ ने स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छ भारत के तहत, मंत्रालय का लक्ष्य सभी विधानमंडलों में नेवा को पूरी तरह अपनाने और पुराने अभिलेखों के डिजिटलीकरण के जरिए कागज के उपयोग को लगभग शून्य करना है।

मंत्रालय की भविष्य की रूपरेखा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के लिए नेवा को ए.आई.-संचालित प्लेटफॉर्म में परिवर्तित करने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत विभिन्न आधिकारिक भाषाओं में वास्तविक समय की बहुभाषी मशीन अनुवाद क्षमताओं (टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट, स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच-टू-स्पीच) को एकीकृत किया जाएगा जिससे उपयोगकर्ता अपनी पसंदीदा क्षेत्रीय भाषा में अपनी विषय-वस्तु तक पहुंच सकेंगे, सदन की कार्यवाही तैयार हो सकेगी, ए.आई-संचालित लाइव ट्रांसक्रिप्शन संभव होगा, खोजने योग्य अभिलेखागार और बुद्धिमान बहुभाषी चैटबॉट संभव हो सकेंगे। इन सुविधाओं से मुद्रित सामग्री में भारी कमी आएगी और भाषाई समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
